झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/श०जला०– 02–03/2019– 52 (वि) राँची, दिनाँक :– 9/11/23

सेवा में,

❖ अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना शीर्ष के अधीन 'अन्य व्यय' मद से यॉंत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत राँची एवं हटिया शहरी जलापूर्ति योजना के विद्युत व्यय के लिए कुल 04 अदद् प्राक्कलनों के विरूद्ध भुगतान हेतु समेकित राशि रूपये 2176.30 लाख (इक्कीस करोड़ छिहत्तर लाख तीस हजार रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

राँची एवं हटिया शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत विद्युत व्यय के भुगतान हेतु कुल 04 अदद् प्राक्कलनों पर अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक अंचल, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त प्राक्कलनों के आलोक में समेकित राशि **रूपये 2176.30 लाख (इक्कीस करोड़ छिहत्तर लाख तीस हजार रूपये)** मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न है :–

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	Electricity bill for Swarnarekha Water Supply Scheme, Rukka.	2227.12703	1761.97
2.	Electricity bill for Urban Water Supply Scheme, Booty.	64.44491	41.83
3.	Electricity bill for Urban Water Supply Scheme, Hatia.	43.57777	26.27
4.	Electricity bill for Hatia Water Supply Scheme.	429.86480	346.23
	Total	**2765.01451**	**2176.30**

(इक्कीस करोड़ छिहत्तर लाख तीस हजार रूपयें)

2. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष– 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप–मुख्य शीर्ष– 01– जल पूर्ति; लघु शीर्ष– 796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना; उप शीर्ष– 06– बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाईपों से); उप योजना शीर्ष– 01– शहरी जलापूर्ति योजना; विस्तृत शीर्ष– 07– अन्य व्यय; 59– अन्य व्यय (विपत्र कोड– **36S42150179606010759**) शीर्ष के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में उपबन्धित राशि रूपये 9700.00 लाख मात्र से होगा।

3. योजनान्तर्गत व्यय होने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची होंगे और राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।

4. विद्युत विपत्र का भुगतान ससमय किया जायेगा। **किसी भी स्थिति में DPS का भुगतान नहीं किया जायेगा। राशि भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता द्वारा जाँच कर संतुष्ट हो लिया जायेगा कि विपत्र की राशि का समायोजन किसी अन्य राशि से नहीं किया गया है।**

5. योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक नागरिक प्रमण्डल, रॉंची करेंगे तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जॉच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यो का भौतिक सत्यापन कर कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र से पूरी तरह् संतुष्ट होने के उपरान्त ही एक उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित करेंगे।

7. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक नागरिक प्रमण्डल, रॉंची इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है और न होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इस योजना की राशि का विचलन अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 2561 दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 1800 दिनांक– 15.07.2003 एवं पत्रांक– 2093 दिनांक– 21.07.2016 के निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन किया जाएगा।

9. योजना का ब्यौरा www.indiawater.gov.in पर update करना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. योजना की स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक– 301, दिनांक– 11.03.2015 के क्रम में दी जा रही है।

11. स्वीकृति प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. **यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।**

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 52 (पे0) रॉंची, दिनांक :– 9/11/23

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटनागपुर प्रमण्डल, रॉंची/उपायुक्त, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, रॉंची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक नागरिक प्रमण्डल, रॉंची/अवर सचिव– 07/प्रशाखा पदाधिकारी–7/वरीय सचिवालय सहायक/राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

08.11.23